# SOP

# FOR POLICE VERIFICATION OF PASSPORT/TRAVEL DOCUMENT

# पासपोर्ट / यात्रा दस्तावेज के पुलिस सत्यापन की मानक संचालन प्रक्रिया

## COMPILING TEAM

- **Dr. Inam-Ul-Haq, IPS, S.P. Kishanganj.**
- **SI Sumesh Kumar,**
  **SHO, Garwandanga PS, Kishanganj.**
- **SI Nishakant Kumar,**
  **SHO, Pothia PS, Kishanganj.**

## Formatting & Designing:-

- **Steno ASI Kanishk Kumar Sharma.**

# References:-


1. Passport Act, 1967
2. Landmarks Judgements Of Different High Courts Country

# विषय सूची


| क्र0सं0 | विषय | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|
| 01. | परिचय | 1 |
| 02. | पासपोर्ट अधिनियम, 1967 | 2–3 |
| 03. | नैतिक अधमता (Moral turpitude) Case laws | 4–6 |
| 04. | नैतिक अधमता (Moral turpitude) का परिचय | 7 |
| 05. | निष्कर्ष | 8 |


KISHANGANJ POLICE

# 01. परिचय

देशभर में खासतौर से बिहार राज्य भर में झूठे आपराधिक मामले दर्ज करने का चलन बहुत ज्यादा है और अनुसंधान में गुणवत्ता कम होने के कारण तथा दोषपूर्ण जांच के कारण बहुत से ऐसे कांड बिना तथ्य के चार्जशीट किये जाते हैं और लंबी अवधि तक न्यायालय में लंबित रहते हैं, जिसके कारण पासपोर्ट निर्गत करने के लिए Police Clearance देने में दिक्कत आती है। इस कारण बहुत से निर्दोष लोग मामूली कारण से पासपोर्ट प्राप्त करने से वंचित रह जाते है। बहुत बार नागरिकों को पासपोर्ट की आवश्यकता केवल या तो तीर्थ (हज/उमरा) या विदेश में रह रहे अपने बच्चों को देखने के लिए जाने हेतु पड़ती है, परन्तु पुलिस की मामूली–सी गलती से पासपोर्ट का सही सत्यापन नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोग पासपोर्ट से वंचित रह जाते हैं या कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

विभिन्न न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आपराधिक मामले, नैतिक अधमता (Moral turpitude) की श्रेणी में नहीं आते हैं, परन्तु जानकारी के अभाव में थानास्तर से बहुत से कर्मी प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट (Adverse Police Report) निर्गत करते हैं, जिसके कारण बहुत से जरूरतमंद तथा निर्दोष लोग पासपोर्ट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इन सभी कठिनाईयों को दूर करने के लिए तथा अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारी (पु0अ0नि0 एवं स0अ0नि0 स्तर के पुलिस पदाधिकारी) को जागरूक करने हेतु यह लेखन तैयार किया गया ताकि आंख बंद करके पुलिस के अधीनस्थ पदाधिकारी गलत रिपोर्ट न दें और आमजनों को असुविधा न हो।

KISHANGANJ POLICE

# 02. पासपोर्ट अधिनियम, 1967

## 6. पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज अस्वीकार करना।

(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, पासपोर्ट प्राधिकरण की धारा–5 की उपधारा (2) के खंड (बी) या खंड (सी) के तहत किसी एक या अधिक पर किसी भी देश में जाने के लिए इंकार कर देगा, जो निम्नलिखित आधार हैः–

(a). आवेदक द्वारा ऐसे देश में भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हो सकता है या होने की संभावना हो।

(b). आवेदक द्वारा ऐसे देश में उसकी उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है या होने की संभावना है।

(c). आवेदक की उपस्थिति ऐसे देश की हो, जहाँ उस देश या किसी अन्य देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या पड़ने की संभावना है।

(d). केंद्र सरकार की राय के अनुसार आवेदक की उपस्थिति उस देश के लिए सार्वजनिक हित में नहीं है।

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, पासपोर्ट प्राधिकरण किसी एक या अधिक पर धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (सी) के तहत किसी भी विदेशी देश की यात्रा के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से इंकार कर देगा, जो निम्नलिखित आधार हैः–

(a). आवेदक भारत का नागरिक नहीं है।

(b). आवेदक भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में भारत के बाहर शामिल हो सकता है या शामिल होने की संभावना है।

(c). आवेदक का भारत से प्रस्थान भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है या होने की संभावना है।

(d). भारत के बाहर आवेदक की उपस्थिति किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या पड़ने की संभावना है।

(e). आवेदक को, उसके आवेदन की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि से पूर्व के दौरान किसी भी समय, भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा **नैतिक अधमता(Moral turpitude)** से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ हो और दोषसिद्धि के दौरान कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई हो।

(f). आवेदक द्वारा किए गए कथित अपराध**(Moral turpitude)** के संबंध में कार्यवाही भारत में एक आपराधिक अदालत के समक्ष लंबित है।

(g). आवेदक की उपस्थिति के लिए वारंट या सम्मन या गिरफ्तारी के लिए वारंट, किसी अदालत द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के तहत जारी किया

KISHANGANJ POLICE

गया है या आवेदक के भारत से प्रस्थान पर रोक लगाने वाला कोई आदेश दिया गया हो। ऐसे किसी न्यायालय द्वारा बनाया गया हो।

(h). आवेदक को स्वदेश वापस भेज दिया गया है और उसने ऐसे स्वदेश वापसी के संबंध में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है।

(i). केंद्र सरकार की राय में आवेदक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

KISHANGANJ POLICE

# 03. नैतिक अधमता (Moral turpitude) Case laws

## Case laws:-

### J.R. Parikh Vs The Director (Pv) Chief Passport ....on 17 April, 1970

उप–धारा (2)के खंड (e) की आवश्यक बिन्दु हैः–

(1) उसके आवेदन की तारीख से ठीक पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय।

(2) **नैतिक अधमता(Moral turpitude)** से जुड़े किसी भी अपराध के लिए भारत की किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो, और

(3) उसके संबंध में कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई हो।

**नैतिक अधमता(Moral turpitude)**– पासपोर्ट अधिनियम 1967 में **"नैतिक अधमता"** शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। Pocket Oxford Dictionary के अनुसार **"Moral"** का अर्थ है **"यदि कानून नहीं है, तो नैतिकता के अनुरूप या आवश्यक या उचित ठहराया जाना"** और **"Turpitude"** का अर्थ है **"नीचता"**। इस प्रकार **"धोखाधड़ी"** प्रथम दृष्टया, नैतिक अधमता से संबंधित है, नैतिक अधमता के उदाहरण है।

**नैतिक अधमता(Moral Turpitude) की सामान्य श्रेणी**– हत्या, चोरी, डकैती, झूठी गवाही, दुष्प्रचार, द्विविवाह, बलात्कार, किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना, बच्चे के साथ किये गये अपराध़, महिला का गर्भपात करना, अपहरण, व्यपहरण या किसी महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करना, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए नाबालिग को बेचना, वेश्यावृत्ति, जबरन वसूली, नशीली दवाओं के अपराध, गुंडागर्दी, Hit and Run शामिल है।

**[Kerala high court]**

### Mohit Bansal Vs Institute Of Chartered ... on 21 January, 2022

**नैतिक अधमता(Moral turpitude)** से जुड़े अपराधों में निम्नलिखित शामिल हैः–

(1) आपराधिक षड्यंत्र (धारा–120बी भारतीय दंड संहिता)

(2) राज्य के विरुद्ध अपराध (धारा–121, 130 भारतीय दंड संहिता)

(3) सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध (धारा–131–134 भारतीय दंड संहिता)

(4) सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध (धारा–153ए और 153बी भारतीय दंड संहिता)

(5) झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध (धारा 193–216ए भारतीय दंड संहिता)

(6) सिक्के और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध (धारा 231–263ए भारतीय दंड संहिता)

(7) धर्म से संबंधित अपराध (धारा 295–297 भारतीय दंड संहिता)

KISHANGANJ POLICE

(8) मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध (धारा–302–304, 304बी, 305–308, 311–317, 325–333, 335, 347, 348, 354, 363–373, 376–376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 377 भारतीय दंड संहिता)

(9) संपत्ति के विरुद्ध अपराध (धारा 379–462 भारतीय दंड संहिता)

(10) दस्तावेज और संपत्ति चिह्न से संबंधित अपराध (धारा 465–489 भारतीय दंड संहिता)

(11) विवाह और दहेज निषेध अधिनियम (धारा 498ए भारतीय दंड संहिता) से संबंधित अपराध

## State Bank of India and others Vs. P. Soupramaniane reported in (2019) 18 SCC 135

कुछ अपराधों के बारे में किसी भी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, NDPS अधिनियम के तहत अपराध जिन्हें सीधे तौर पर नैतिक अधमता से जुड़ा माना जा सकता है।

**बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है** कि बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों में नैतिक अधमता या नैतिक अपराध शामिल है। **POCSO ACT, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015.**

## Other Involving Moral Turpitude

1. Conviction for offences under Prevention of Corruption Act,1988.
2. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985.
3. Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
4. The Protection of Children from sexual offences Act, 2012.
5. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.
6. Immigration Act, 1983
7. Arms Act, 1959.

(Ref:- Law Officer Gr. I, PSTCL, Patiala memo no.-961/66, dated-04.08.2021)

## Naresh lalchand bhagchandani Vs union of India 2007

पासपोर्ट से इंकार करने का आदेश उचित कारणों से होना चाहिए और अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में आना चाहिए।

**Police clearance report** के समय निम्न बिन्दुओं पर जांच की जानी चाहिएः–

(1) नैतिक अधमता (Moral turpitude) से संबंधित आपराधिक इतिहास समर्पित की जानी चाहिए।

(2) आपराधिक इतिहास का उल्लेख करते समय ecourt.gov.in पर उसकी वर्तमान स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए।

KISHANGANJ POLICE

(3) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा बहुत सारे मामलों में जहां अपराध धारा–341/323/506/324/अन्य धाराएँ, जो नैतिक अधमता (Moral turpitude) वाले अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन सभी मामलों में पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज, जिसकी अस्वीकृति व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है।

(4) नैतिक अधमता (Moral turpitude) के अपराधों में यदि आवेदक दोषसिद्ध हुआ हो, परन्तु उसकी सजा दो वर्ष से कम है तो वह व्यक्ति पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज के लिए कानूनी रूप से वैध है। पुलिस सत्यापन के समय इसका जिक्र किया जाना चाहिए।

(5) आवेदक का पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज सत्यापन के समय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा–6 खंड–2 का उपखंड–(e), (f) को अवश्य ध्यान में रखें।

KISHANGANJ POLICE

# 04. नैतिक अधमता (Moral turpitude) का परिचय

**मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। 30.09.1994–**
**RAJHC न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एम आर शाह**

इस पीठ ने कहा कि केवल वे अधिनियम, जो चरित्र की भ्रष्टता और दुष्टता को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें नैतिक अधमता वाले अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और साधारण हमले का अपराध इसके अंतर्गत नहीं आता है।

'नैतिक अधमता' का अर्थ– हिंसा के प्रत्येक कृत्य में आवश्यक रूप से नैतिक अधमता शामिल नहीं है– हिंसा या अपराध के कुछ कार्य निर्णय की त्रुटि के माध्यम से अनजाने में किए जा सकते हैं, जो नैतिक अधमता नहीं होंगे।

**बालेश्वर सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर 1959 सर्व.71**

नैतिक अधमताः– न्याय, ईमानदारी, शील और अच्छे नैतिकता के विपरीत किया गया कोई भी कार्य है। इसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के चरित्र या स्वभाव की भ्रष्टता और दुष्टता से है जिस पर विशेष आचरण का आरोप लगाया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक गलत कार्य नैतिक अधमता नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा तब होगा जब यह किसी निजी या सामाजिक कर्तव्य को करने में नीचता या भ्रष्टता परिलक्षित होती है।

KISHANGANJ POLICE

# 05. निष्कर्ष

## नैतिक अधमता (Moral turpitude) क्या है, क्या नहीं है?

जैसेः–1. यदि किसी व्यक्ति के उससे संबंधित अपराध के जानकारी एवं बौद्धिक ज्ञान के अभाव के कारण कारित की जाती है तो यह नैतिक अधमता परिलक्षित नहीं माना जायेगा।

2. लड़ाई–झगड़े के मामलों में, यदि उस व्यक्ति की उपस्थिति, जो उस व्यक्ति की केवल उपस्थिति से नैतिक अधमता परिलक्षित नहीं होती है, जब तक कि उनके द्वारा वैसा कृत्य, षड्यंत्र, आशय सम्मिलित न हों।

3. साईबर अपराधों के मामलों में, जिसमें धोखाधड़ी, ठगी सम्मिलित है, उसमें व्यक्ति के कृत्य, आदतन, आशय जब तक सम्मिलित न हो, वह नैतिक अधमता में नहीं आता है। अगर उस व्यक्ति द्वारा किसी मजबूरी या अनजाने में घटना कारित किया गया हो, तो यह भी नैतिक अधमता नहीं माना जायेगा।

4. विवाह और दहेज निषेध अधिनियमों के तहत अपराधों में अभियुक्त की क्रूरता, षड्यंत्र, आशय सम्मिलित है तो वह नैतिक अधमता में होंगे। यदि वह शामिल नहीं है तो नैतिक अधमता में नहीं आयेगें। चूँकि पारिवारिक मतभेद में आरोप लगाये जाते हैं, जिसमें कुछ महिलाओं के द्वारा अपने पति के साथ नहीं रहने एवं उसे परेशान करने की उद्देश्य से भी ऐसे अपराधों में जान बूझकर मामले दर्ज करवाये जाते हैं। जिस कारण से अभियुक्त पर नैतिक अधमता प्रतीत नहीं होती है।

KISHANGANJ POLICE